टीपें और आज्ञायें

क्रमांक–109

वि0पत्रः–निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल का पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

अनु सचिव,

कृपया वि0पत्र का संलग्नक सहित अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– वि0पत्र के द्वारा शासनादेश दिनांक 17 जून, 2016 तथा दिनांक 26 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण कराते हुये अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेशों द्वारा वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगता पेंशन हेतु ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आता हो अथवा जिसकी मासिक आय ₹ 4000/– निर्धारित हो। एक परिवार में पति–पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलेगा, किन्तु प्राथमिकता महिला लाभार्थी को दी जायेगी, सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

3– उक्त के क्रम में संज्ञान में लाया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के शासनादेश दिनांक 24.09.2007 के क्रम में शासनादेश दिनांक 30.6.2017 तथा शासनादेश दिनांक 08.11.2012 द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की उम्र 60 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी तथा आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिए, को पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में माना गया है। भारत सरकार द्वारा पति–पत्नी में से किसी एक को ही पेंशन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60–79 वर्ष आयु वर्ग में ₹ 200/– प्रतिमाह तथा 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को ₹ 500/– प्रतिमाह केन्द्रीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

पेंशन वितरण एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है:–

1– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में पात्र पति–पत्नी दोनों को पेंशन स्वीकृति करने विषयक प्रस्ताव–

विभागीय सुझावः– उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–936 दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 द्वारा समस्त पेंशन योजनाओं को सार्वभौमिक किया

टीपें और आज्ञायें

संख्या

परिवार रजिस्टर की नकल/बी0पी0एल0 क्रमांक/आय प्रमाण पत्र/खुली बैठक का प्रस्ताव/बैक–डाकघर खाता संख्या/आधार कार्ड आदि अभिलेख लिए जाते हैं। विभाग का सुझाव है कि पेंशन फार्म के साथ उक्त अभिलेख (खुली बैठक के प्रस्ताव को छोड़कर) को उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित लाभार्थी का रखा जाय और आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कर दिया जाय। जो अभिलेख आवेदक से लिये जा रहे हों, उनकी सत्यता के लिए सम्बन्धित आवेदक के आवेदन पत्र पर ही शपथपत्र लिया जाय कि वे सहीं हैं और उनके गलत पाये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की स्वंय की होगी।

3— समस्त पेंशन स्वीकृतियों के लिये EPIC कार्ड बनाने की प्रक्रिया की भांति पेंशन स्वीकृति 60 वर्ष से पूर्व प्रस्तावित करना:—

<u>विभागीय सुझाव:—</u> जो पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला है, उसके पेंशन प्रपत्र पूर्व में ही तैयार कर लिए जाय ताकि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्वत: ही सम्बन्धित आवेदक की पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही व्यक्ति के 60 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व हो जाय।

4— महोदय अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 26.06.2016 में प्राविधान है कि वृद्धावस्था पेंशन एक परिवार में पति–पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को दी जायेगी, किन्तु प्राथमिकता महिला लाभार्थी को दी जायेगी। परन्तु विदित है कि पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन पति–पत्नी दोनों को दी जाती थी, परन्तु उक्त शासनादेश में ये स्पष्ट नहीं है कि जो दम्पत्ति वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पूर्व से ले रहे हैं, उन पर भी ये शासनादेश लागू होगा या नये वृद्धावस्था पेंशनरों पर ही होगा?

कृपया उक्त विभागीय सुझावों पर निर्णय लेते प्रस्तर–4 पर विचार किये जाने हेतु प्रत्रावली उच्च स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना चाहें।

01-11-17

उपसचिव

8/11/17

(जे0पी0 बेरी)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

-11-2017

(प्रीतम सिंह)
अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण अनुभाग–2,
उत्तराखण्ड शासन

Scanned by CamScanner

टीपें और आज्ञायें

पेंशन की राशि:–

1. 60 से 79 आयु वर्ग के लाभार्थियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह ₹ 200/– की दर से दी जायेगी।
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए आई0जी0एन0ओ0ए0पी0एस0 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह ₹ 500/– की दर से दी जायेगी।

3–उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत दिनांक 09 मार्च, 2018 तक 60 से 79 आयु वर्ग में 186408 व 80 वर्ष से ऊपर के 34795 कुल 221203 लाभार्थी है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 60 से 79 आयु वर्ग के लाभार्थियों हेतु ₹ 800/– प्रतिमाह व 80 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों हेतु ₹ 500/– प्रतिमाह राज्यांश के रूप में दी जाती है तथा भारत सरकार द्वारा 60 से 79 आयु वर्ग के लाभार्थियों हेतु ₹ 200/– व 80 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों हेतु ₹ 500/– की धनराशि प्रति माह प्रदान की जाती है।

यदि इस योजनान्तर्गत पति/पत्नी दोनों को ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूर्ण करते है तो राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुये लाभार्थियों की संख्यानुसार प्रति लाभार्थी ₹ 800/– (60 से 79 आयु वर्ग हेतु) व ₹ 500/– प्रति लाभार्थी (80 वर्ष से ऊपर) की पूर्ति की जानी होगी। इस सम्बन्ध में व्यय भार का चार्ट **प/क** पर अवलोकनीय है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त योजना का लाभ दिये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

4– महोदय वृद्धावस्था पेंशन में राज्य सरकार वर्तमान में ₹ 800/– प्रतिमाह (60–79 आयु वर्ग) एवं ₹ 500/– प्रतिमाह (80 या इससे अधिक आयु वर्ग) राज्यांश देती है। अतः राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुये प्रत्येक वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन दी जानी सम्भव नहीं हो पा रही है, परन्तु उक्त योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के मानकानुसार योजना से राज्य के वंचित समस्त वृद्धों (स्त्री या पुरूष) को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दी जा रही धनराशि को पेंशन के रूप में स्वीकृति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

उचित होगा कि उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किये जाने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष समाज कल्याण के साथ प्रकरण पर एक बैठक अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत कर ली जाय।

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण

संख्याः 883 /XVII–2/16–01(02)/2010

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग– 02

देहरादून : दिनांकः 7 जून,2016

विषयः–समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं को पारदर्शी ICT (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–729/XVII–2/16–01(02)/2010 दिनांक 26 मई, 2016 में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0–1095/स.क.वि./पेंशन/ 2016–17 दिनांक 13 जून, 2016 के माध्यम से किये गये अनुरोध के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–729/XVII–2/16–01(02)/2010 दिनांक 26 मई, 2016 के प्रस्तर–3 (क) (ख) (ग) (घ) (ड.) को निम्नवत संशोधित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

2– **वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग एवं किसान पेंशन की पात्रता सीमा**– ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन स्वीकृति का अधिकार (किसान पेंशन को छोड़कर) सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित उपजिलाधिकारी में निहित होगा। किसान पेंशन हेतु लाभार्थी को स्वयं के किसान होने के सम्बन्ध में तथा समाज कल्याण विभाग की किसी अन्य पेंशन योजना में लाभार्थी न होने के सम्बन्ध में ₹ 10/– के शपथपत्र पर घोषणा करना अनिवार्य है। किसान पेंशन हेतु आवेदक को तहसील स्तर से प्राप्त खाता–खतौनी का प्रमाणिक दस्तावेज, जिसमें आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, प्रस्तुत करना होगा। **सभी पेंशन योजनाओं के आवेदन पत्र के साथ लाभार्थी को अपना अथवा अपने किसी निकटस्थ का मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

3– वृद्धावस्था पेंशन तथा किसान पेंशन हेतु लाभार्थी की आयु सीमा 60 वर्ष अथवा उससे अधिक, विधवा पेंशन हेतु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक एवं विकलांग बच्चों के माता–पिता को भरण पोषण हेतु विकलांग बच्चे की आयु जन्म से 18 वर्ष तक होनी

पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned by CamScanner

अनिवार्य है। विकलांग बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त उसकी पात्रता का पुन. सत्यापन करने के उपरान्त ही उसकी विकलांग पेंशन निरन्तर जारी रखी जा राकेगी। किसान पेंशन हेतु 02 हैक्टेयर ऐसे भूमिधर किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हो, पात्र होंगे, किन्तु किसान द्वारा जिस दिन स्वयं की भूमि पर खेती करने का कार्य बन्द कर दिया जायेगा उस दिन से इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन की सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। किसान पेंशन की स्वीकृति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

4– वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगता पेंशन हेतु ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आता हो अथवा जिसकी मासिक आय ₹ 4000/– निर्धारित हो। एक परिवार में पति–पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलेगा किन्तु प्राथमिकता महिला लाभार्थी को दी जायेगी। वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत यदि किसी लाभार्थी के पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो उस दशा में ऐसे लाभार्थी भी पेंशन के पात्र होगें, किन्तु ऐसे लाभार्थी जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों किन्तु गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे हो तो उस दशा में ऐसे लाभार्थी पेंशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

5– **पेंशन की दरें**– वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग एवं किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को ₹ 1000/– प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। **वृद्धावस्था पेंशन** के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 200/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 800/– मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 500/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 500/–प्रतिमाह मासिक पेंशन दी जाती है। बी0पी0एल0 श्रेणी के अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन के जिन लाभार्थियों की मासिक आय ₹ 4000/– तक है ऐसे समस्त लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा ₹ 1000/– मासिक पेंशन दी जाती है। **विधवा पेंशन** के अन्तर्गत 40 से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 300/– तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 700/– मासिक पेंशन दी जाती है। 18 वर्ष से 39 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के बी0पी0एल0 श्रेणी के अतिरिक्त विधवा पेंशन के जिन लाभार्थियों की मासिक आय ₹ 4000/– तक है, ऐसे समस्त पात्र विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹ 1000/– मासिक पेंशन दी जाती है। **विकलांग पेंशन योजना** के अन्तर्गत 18 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 जो 80%

पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned by CamScanner